0300 304203

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु. [illegible]/-
बाजार मूल्य	: रु. [illegible]/-
स्टाम्प शुल्क	: रु. [illegible]/-
[illegible]	: [illegible]

यह विक्रय विलेख राकेश कुमार व मुकेश कुमार [illegible] पिता श्री [illegible] निवासी [illegible] जिला- [illegible] द्वारा निष्पादन किया गया है, एवम् [illegible] लिमिटेड [illegible] राजस्थान

[illegible]

Dr. [illegible]

[illegible]

11-12-09

[illegible]

675 [illegible]

[illegible] 30 [illegible]

[illegible]

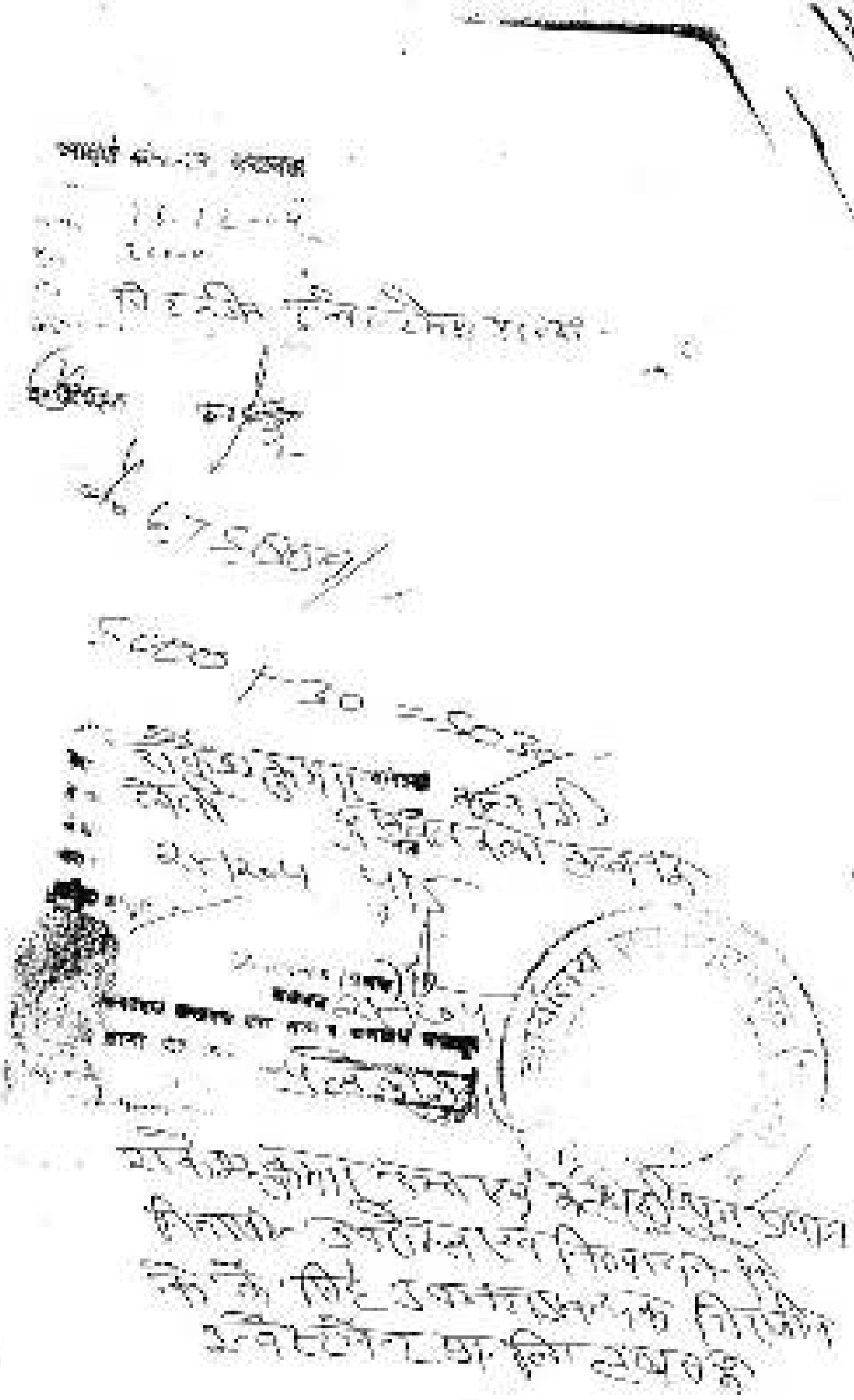

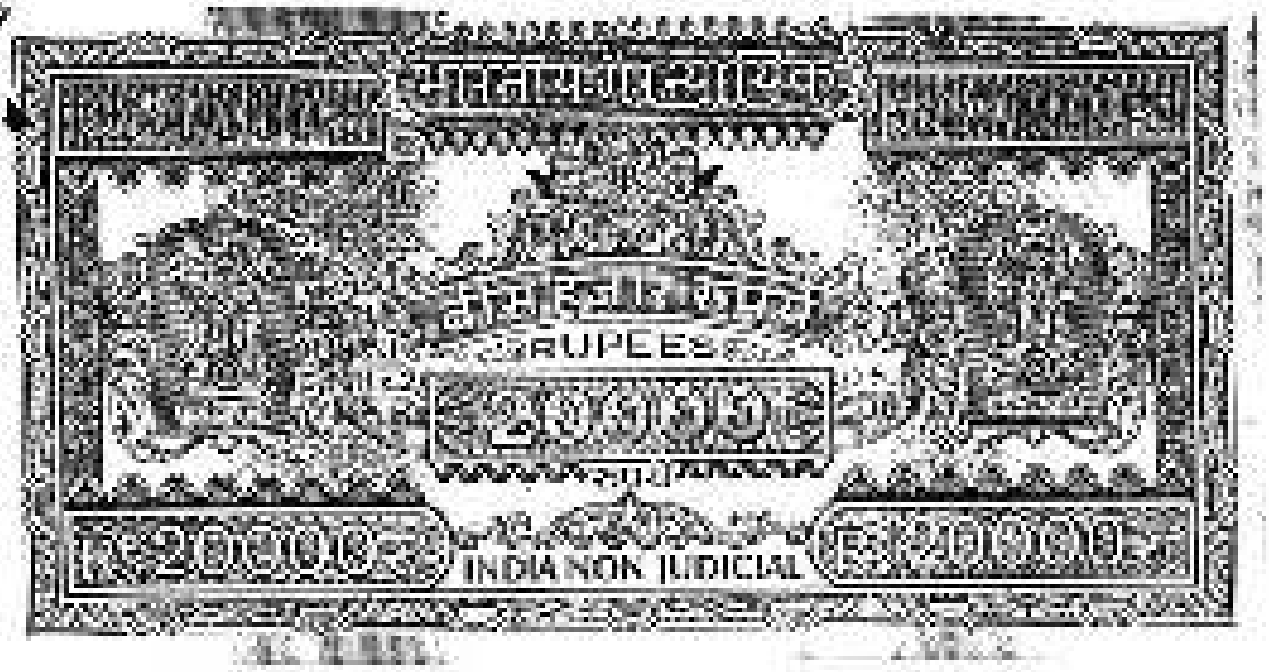

INDIA NON JUDICIAL

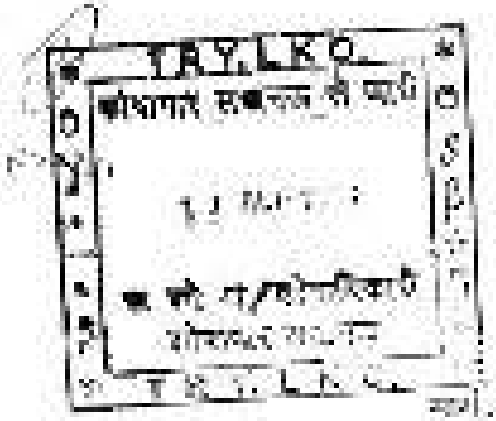

RUPEES

03CC 304201

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ

मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता तृतीय तल आई०सी०आई०सी०आई० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री [illegible], उपमहाप्रबन्धक, पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह वर्तमान एवं स्थायी पता– तृतीय तल, आई०सी०आई०सी०आई० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि आराजी नं० 124 रकबा 0.350 हेक्टेयर, स्थित ग्राम –[illegible] उर्फ [illegible], परगना –बिजनौर, तहसील व जिला –लखनऊ, का मालिक, काबिज व दाखिल है तथा उक्त सम्पत्ति [illegible] खतौनी खाता संख्या 147 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के नाम का अंकन [illegible] राजस्व अभिलेखों में हो गया है।

16-12-04

20/12

21-12-04

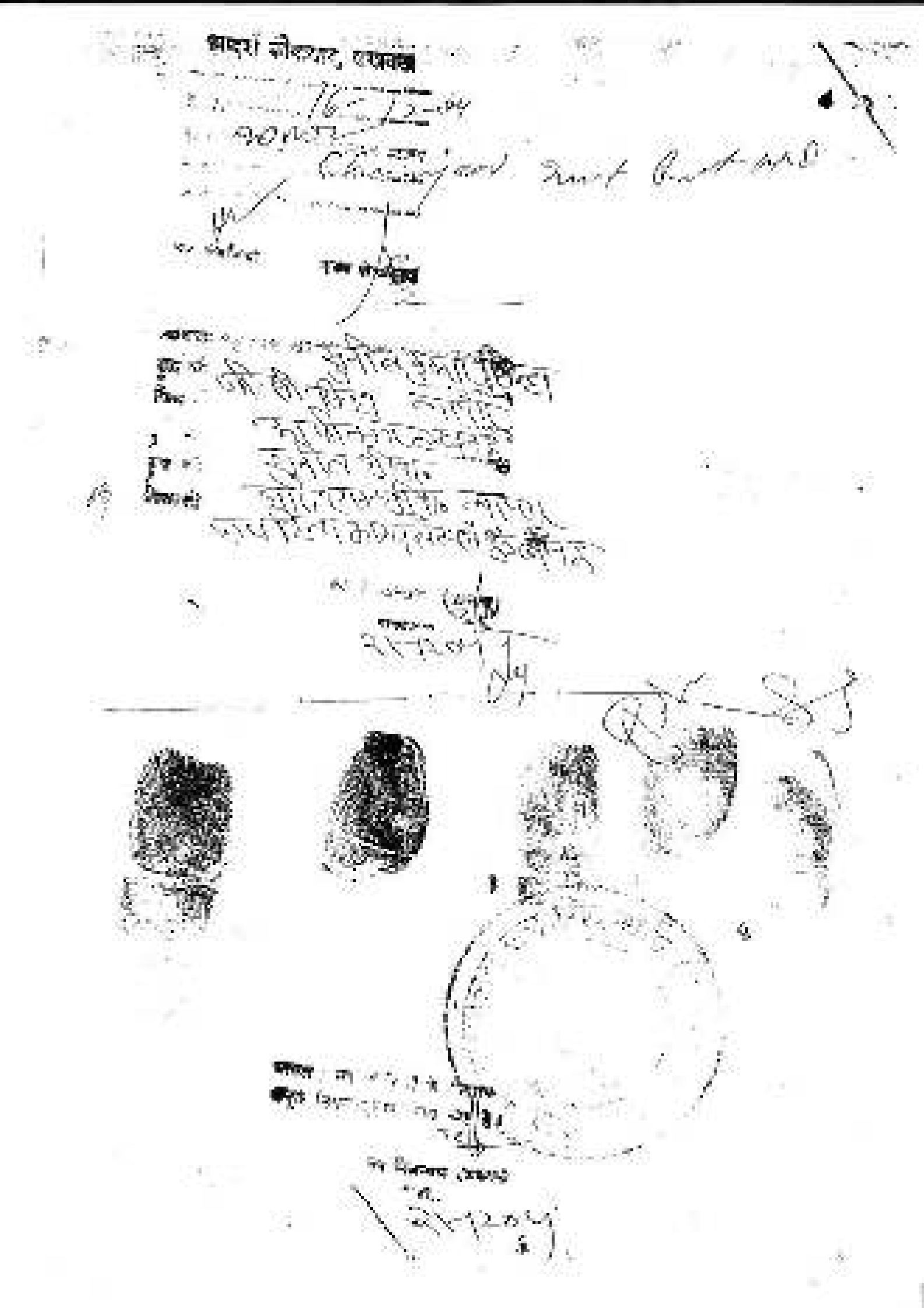

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

DSCC 304209

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
TRY. LKO.

- 3 -

विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अंश को कुल मिलाकर विक्रेता द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण अधोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है. और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने इसे इस विलेख के पूर्व कहीं बय, रेहन, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि का स्वामित्व कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अधीन विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या हिस्सा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विलेख अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार

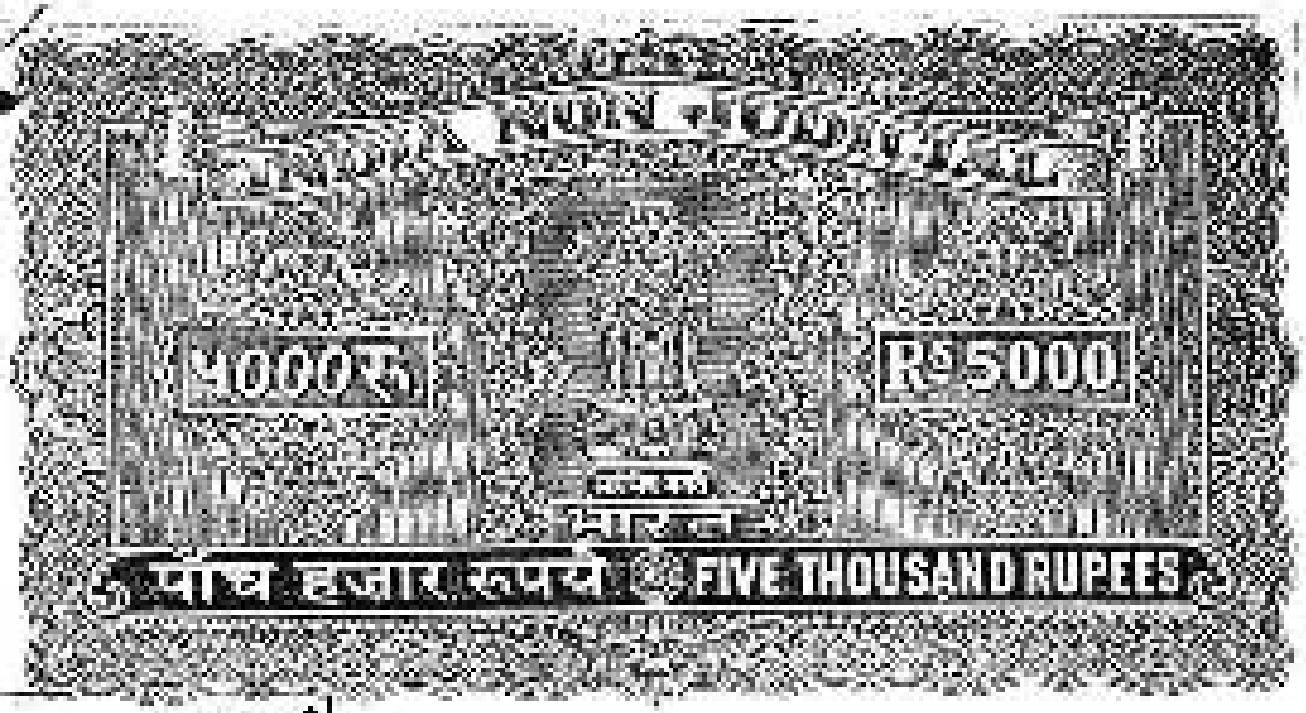

INDIA NON JUDICIAL

5000रु Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अ. को./कोषाधिकारी
कोषागार [illegible]

200146

गया है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के प्रतिफल स्वरूप रुपये 6,75,000/- छः लाख पचहत्तर हजार [illegible] के प्रतिफल में विक्रय कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार अतः विक्रेतागण उक्त क्रेता के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अंकित किया गया है, जो बुराई रहित है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपनी

Dy. [illegible]

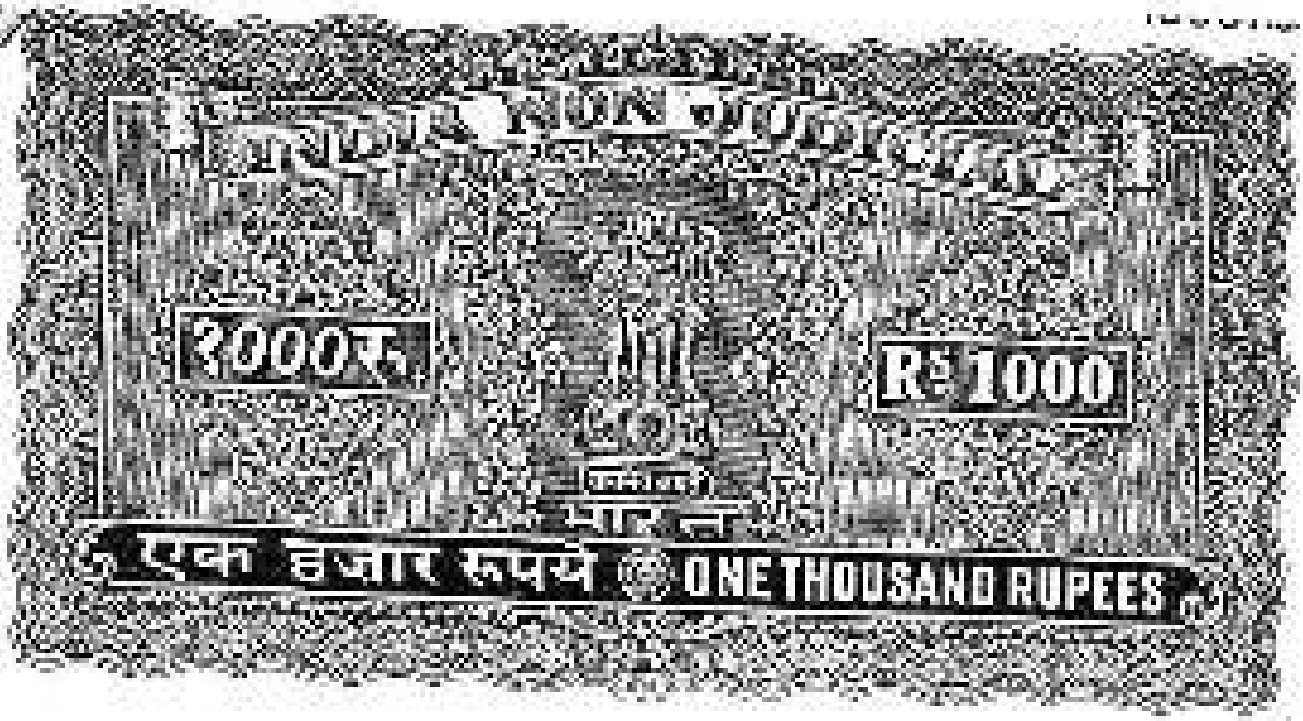

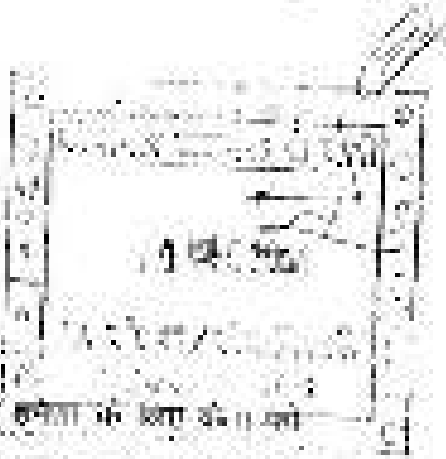

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिए है अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में स्वतंत्र रूप उपभोग व उपयोग करेगा। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई दावा कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान, स्थानापन्न इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, स्थानापन्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय खर्चा व हर्जा, विक्रेतागण की चल, अचल

1000Rs.

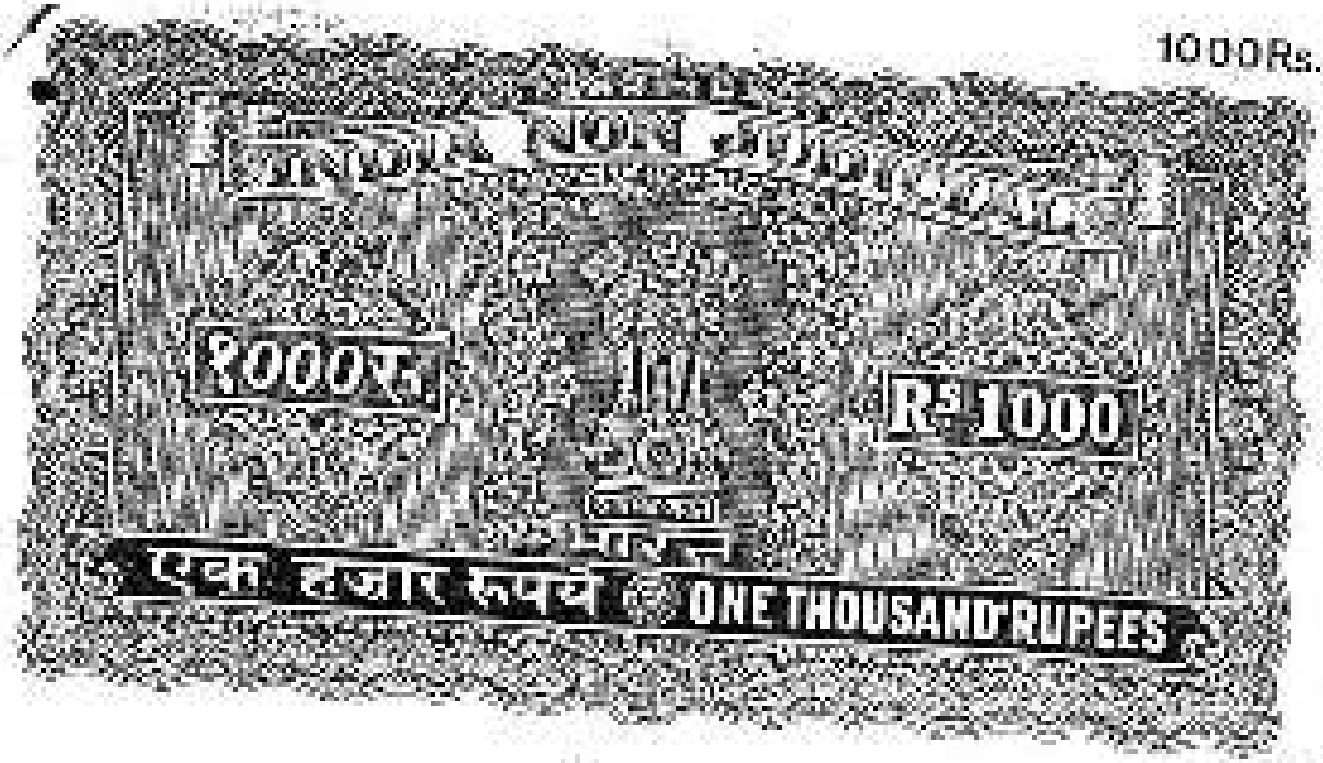

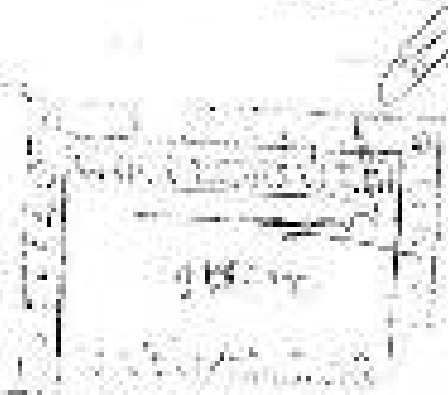

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

- 6 -

सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान कभी न उज्र करने हेतु वचन देगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व यदि अन्य कोई बैनामा किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसका विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे। विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि तहसील [illegible] ग्राम [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] ग्राम की [illegible] के [illegible] रु. [illegible] प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.[illegible] हेक्टेयर

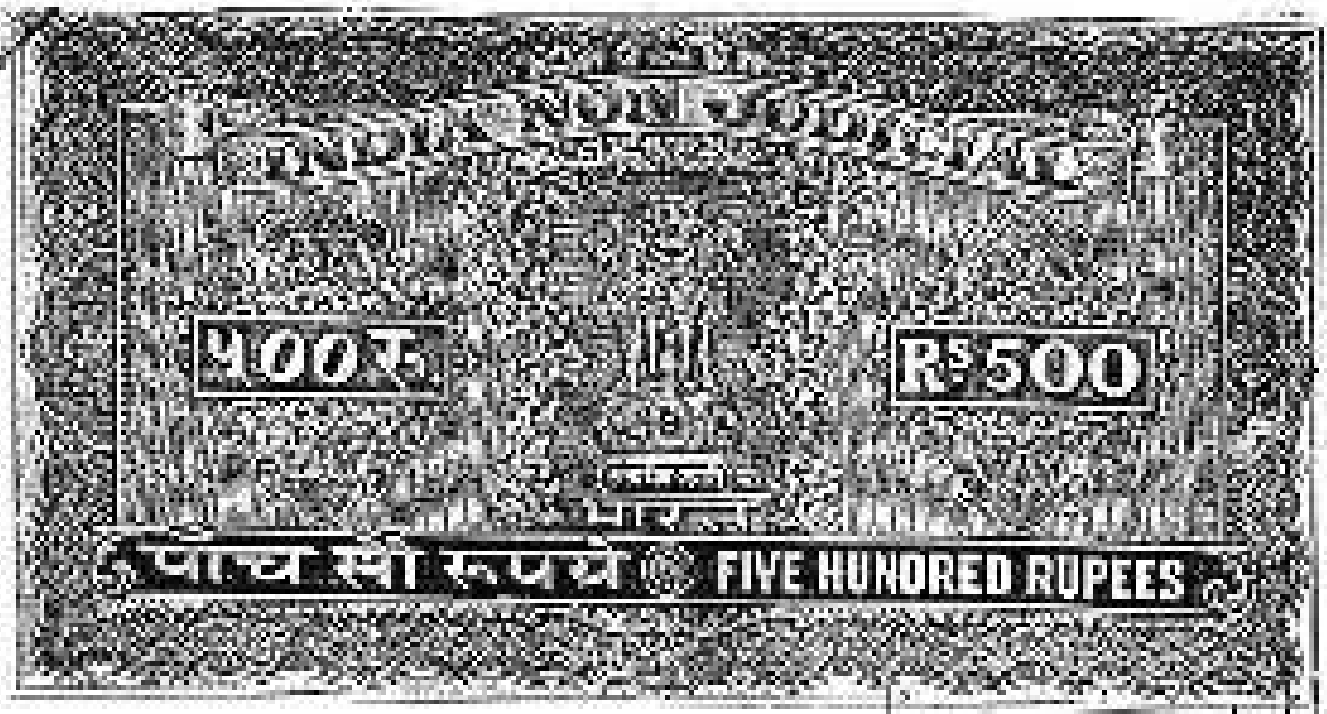

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

की प्रचलित दर रू0 3,96,000/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 67,500/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत कृषि भूमि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व अन्तर्राज्यीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। क्रेतागण अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस विक्रय लेखपत्र का निबन्धन का व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

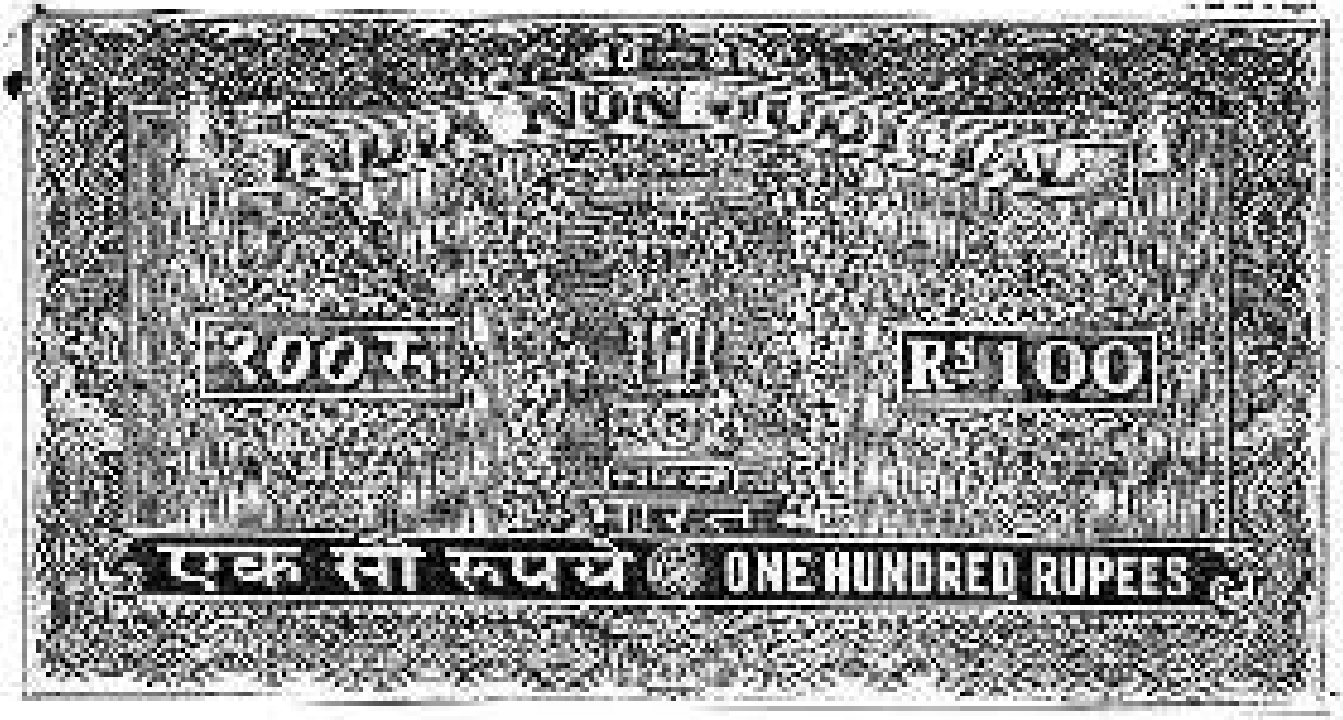

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

T.S.V.L.P.S.
कोषागार लखनऊ के वास्ते
प. को. स./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
T.S.V.L.P.S.

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं0 324 रकबा 0.260 हेक्टेयर, स्थित ग्राम मुलक्षेत्र नगर पूर्वाबाद, परगना – बिजनौर, तहसील व जिला – लखनऊ [illegible] स्थित है।

खसरा नं0 324 रकबा 0.260 हेक्टेयर

पूरब – खसरा संख्या–325

पश्चिम – खसरा संख्या–320

उत्तर – खसरा संख्या–323

दक्षिण – खसरा संख्या–326

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु० 4,25,000/- (रु० चार लाख पच्चीस हजार मात्र) जो ... द्वारा ... बैंक ... विक्रेतागण को ... से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

जिसको यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के नाम ... लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे। [illegible]

दिनांक 17.12.2004

गवाह

1. [illegible]

विक्रेतागण

2. [illegible]

क्रेता

मसविदाकर्ता

(राम संतोषी)

टंकणकर्ता

(... सिंह)

एडवोकेट

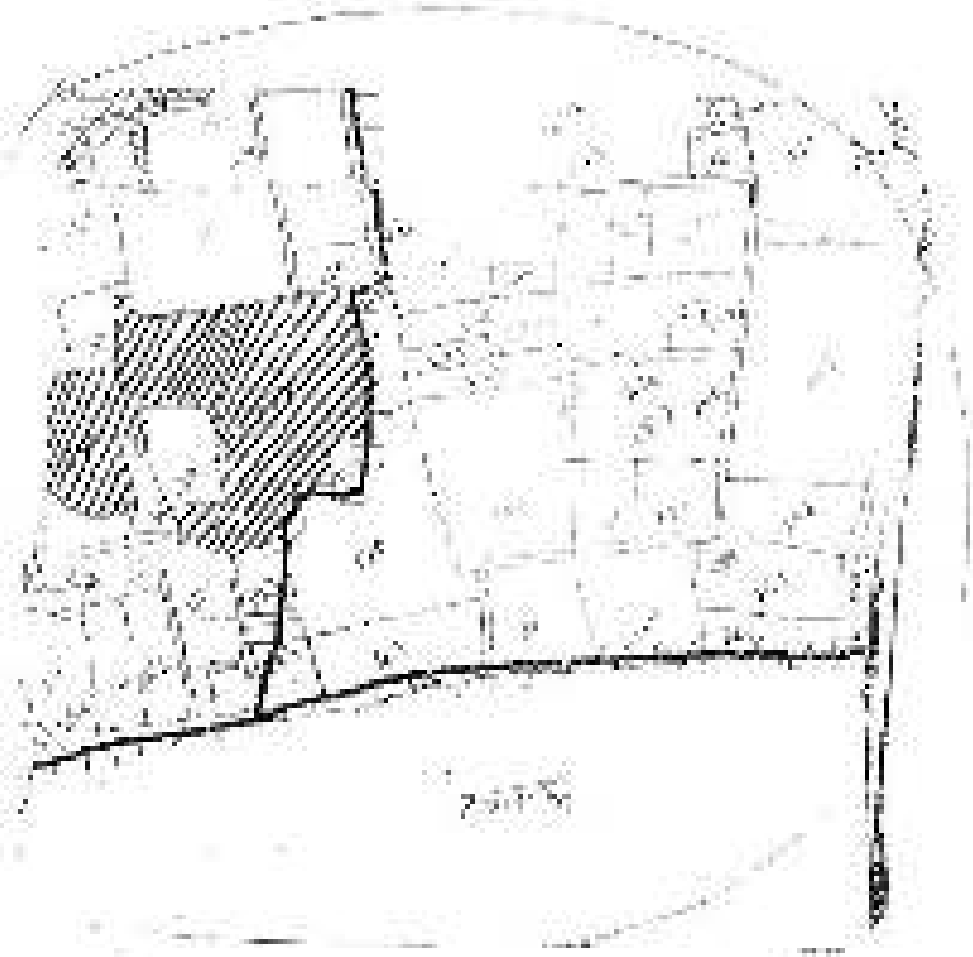

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

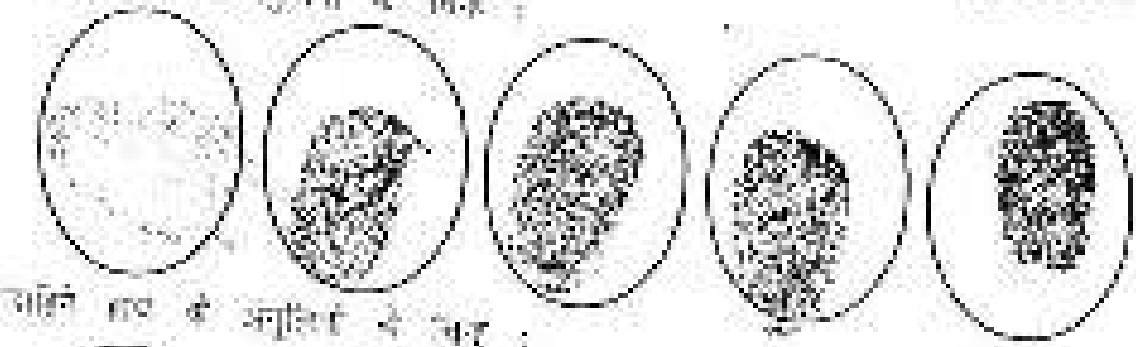

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

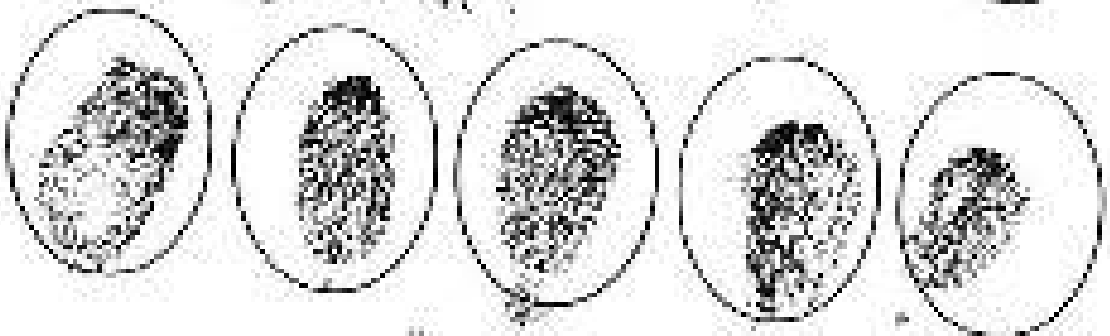

क्रेता/प्रतिनिधि का नाम व पता [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

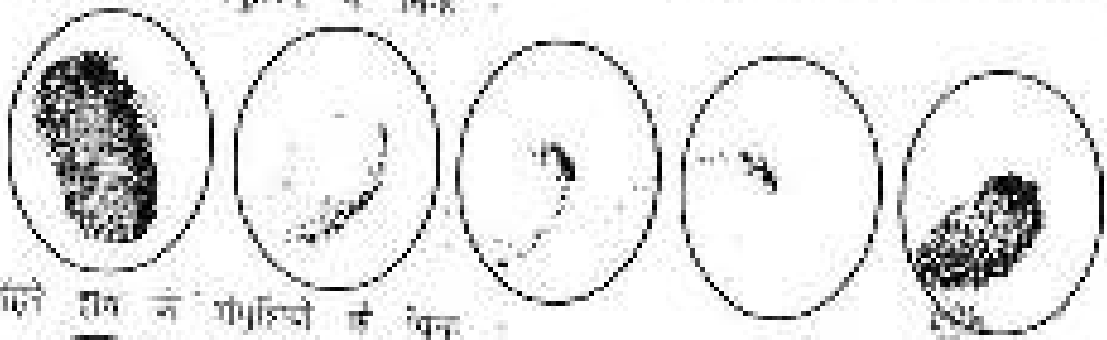

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

[illegible] के हस्ताक्षर

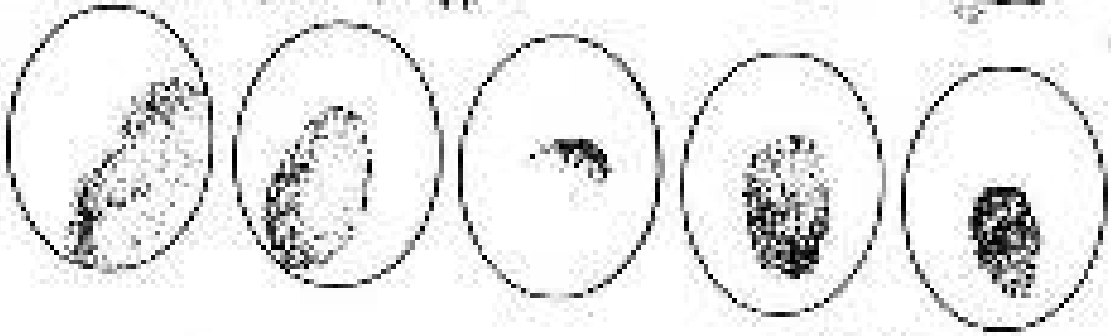

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

[illegible]